संख्या- 583 /9-1-96-8ई/95

प्रेषक,

श्री आर0बी0भाष्कर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट्स,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-1
लखनऊ: दिनांक: 15 फरवरी, 1996

विषय:- नागर स्थानीय निकायों की बैठकों में महिला सदस्यों के साथ उनके सम्बन्धियों आदि का उपस्थित न रहना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के समक्ष ऐसे उदाहरण हैं कि नगरपालिकाओं की बैठकों में महिला अध्यक्ष अथवा सदस्यों के साथ ही उनके पति अथवा सम्बन्धी भी सम्मिलित होते हैं और बैठक की कार्यवाही में भाग लेते हैं । उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उनके अधीन प्रवृत्त नियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार यथानिर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य ही सम्मिलित हो सकते हैं और बैठक में विचाराधीन बिन्दुओं पर अपने मतों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की बैठकों में यह सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि यथानिर्वाचित अथवा पदेन पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बैठक में सम्मिलित न होने पाये और न ही उसके द्वारा अपने किसी मत की अभिव्यक्ति बैठक में की जाय ।

2- यह भी सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि महिला पदाधिकारियों के किसी भी सम्बन्धी को यथास्थिति नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन की अनुमति प्रदान न की जाय जब तक उनके द्वारा विधिवत् निरीक्षण हेतु आवेदन न किया गया हो और यथास्थिति मुख्य नगर अधिकारी या अधिशासी अधिकारी द्वारा ऐसे निरीक्षण की लिखित अनुमति प्रदान न कर दी गयी हो । यह आदेश सभी महिला पदाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

आर0 बी0 भाष्कर
सचिव ।

--2

संख्या- 583 (1)/9-1-96-3ई/95-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को इस अभ्युक्ति सहित कि ऐसे सभी प्रकरण तत्काल शासन के संज्ञान में लाये जायं।

आज्ञा से,

(मधुसूदन रायजादा)
संयुक्त सचिव।